कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007

संदर्भ संख्या :...../सम्ब. अनु./2018

दिनांक :.....

कार्यालय–आदेश

माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या : 729(एस/बी)/2012 डॉ0 सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.03.2013 के अनुपालन में योजित अवमानना याचिका संख्या 2804/2018 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2018 के अनुपालन में निर्गत उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या : 392(1)/सत्तर–2–2018, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 द्वारा निम्नानुसार मार्गदर्शन/दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं :–

1. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों से शुल्क के रूप में जो सकल धनराशि प्राप्त होती है उसे एक ही बैंक के एक ही खाते में रखा जाना उचित होगा और प्रतिमाह विभिन्न पाठ्यक्रमों की सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत धनराशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय को सुनिश्चित करने हेतु खाते का संचालन महाविद्यालय के प्रबन्धक एवं प्राचार्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

2. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों की संविदा अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या – 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सपठित शासनादेश संख्या : 5699/सत्तर–2–2000 –2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि प्रथम पाँच वर्ष की संविदा समाप्त होने पर प्रबन्धतंत्र फिर से चयन की कार्यवाही प्रारम्भ करने में पूर्व कार्यरत शिक्षकों जिनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो और उनके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित न हो, के नाम पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा और पूर्व में कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार में शामिल करने अथवा विश्वविद्यालय से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। और प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात उनकी संविदा को अगले पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण हो जायेगा। तद्क्रम में यह व्यवस्था की जाती है कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति न होने पर प्रबन्धतंत्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुमोदन से शिक्षकों की संविदा का नवीनीकरण अपने स्तर से करते रहेंगे किन्तु प्रतिकूल उपस्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चयन अंतिम होगा।

अतः शासन के निर्देशानुक्रम में समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त सहयुक्त महाविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त के क्रम में शासनादेश दिनांक 30.05.2013 में उल्लिखित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

संख्या : AP/23137–40 दिनांक : 16/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0।
3. ईचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर सेन्टर, ल0वि0वि0 को उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2018 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त महाविद्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. प्रबन्धक/प्राचार्य, सहयुक्त अनुदानित महाविद्यालय, लखनऊ को अनुपालनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

(रणजीत यादव)
उप कुलसचिव (सम्ब.)

1986
14 SEP 2018

अवमाननावाद / समयबद्ध
संख्या–392 / सत्तर–2–2018–18(31) / 2018

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

DR-452
15-9-18

सेवा में

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक 10 सितम्बर, 2018

विशय:– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या–729(एस0बी0)/2012 डा0 सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–03–2013 के अनुपालन हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित अवमाननावाद संख्या–2604/2018 डा0 नीरज श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–05–2018 का कियात्मक अंश निम्नवत् है:–

The applicant shall provide a copy of the paperbook to Sri K.R. Singh, the learned Additional Chief Standing Counsel who shall in consequence obtain instructions from the opposite parties in respect of the allegations of non compliance.

The applicant who appears in person alleges non compliance of the general directions issued by a Division Bench of the Court while disposing of a writ petition instituted before the Lucknow Bench. The issue of non compliance is with respect to the grant of minimum pay scale even to those teachers who are appointed under Self Financing Courses. The applicant has also drawn the attention of the Court to the affidavit tendered by the then Principal Secretary in those proceedings before the Lucknow Bench wherein it was noted that the opinion of the Finance Department was to be obtained in order to evaluate the proposal of the Director of Higher Education for grant of minimum salary to teachers of Self Financing Courses. According to the applicant the general mandamus so issued has not been complied with tilldate.

O.C.(Affi.)
15/9/18

DR-Affiliation

रू0 तत्काल नियमानुसार प्रस्तुत करें।

14/09/2018
Registrar.

2– इस संबंध में अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या–729 (एस0बी0)/2012 डा0 सुरेश कुमार पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–03–2013 के अनुपालन में शासनादेश संख्या–968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 द्वारा कुलसचिव,

समस्त राज्य विश्वविद्यालय को स्वत्तिपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु कतिपय मार्गदर्शन/दिशा निर्देश निर्गत किये गये है, जिनमें निम्नलिखित बिन्दु भी सम्मिलित है:–

(1) अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों से शुल्क के रूप में जो सकल धनराशि प्राप्त होती है उसे एक ही बैंक के एक ही खाते में रखा जाना उचित होगा और प्रतिमाह विभिन्न पाठ्यक्रमों की सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत धनराशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय को सुनिश्चित करने हेतु खाते का संचालन महाविद्यालय के प्रबन्धक एवं प्राचार्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

(2) स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों की संविदा अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 एवं सपठित शासनादेश संख्या–5699/सत्तर–2–2000– 2(85)/97 दिनांक 11 जनवरी, 2008 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि प्रथम पांच वर्ष की संविदा समाप्त होने पर प्रबन्धतंत्र फिर से चयन की कार्यवाही प्रारम्भ करने में पूर्व कार्यरत शिक्षकों जिनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो ओर उनके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित न हो, के नाम पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा और पूर्व में कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार में शामिल करने अथवा विश्वविद्यालय से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। और प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात उनकी संविदा को अगले पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण हो जायेगा। तदक्रम में यह व्यवस्था की जाती है कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति न होने पर प्रबन्धतंत्र संबंधित विश्वविद्यालय के अनुमोदन से शिक्षकों की संविदा का नवीनीकरण अपने स्तर से करते रहेंगे किन्तु प्रतिकूल उपस्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

आप से अनुरोध है कि उक्त शासनादेश दिनांक 30–05–2013 में उल्लिखित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–392. (1)/सत्तर–2–2018–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– निदेशक उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– समस्त क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

मधु जोशी
(मधु जोशी)
विशेष सचिव।